प्रेस नोट दिनांक 24.04.2026 जनपद प्रतापगढ़

प्रेस नोट दिनांक - 24.04.2026
थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना उदयपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित 01 नफर वांछित अभियुक्त 1. भूपेन्द्र सिंह को किया गया गिरफ्तार -

थाना उदयपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना उदयपुर क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त भूपेन्द्र सिंह के निवास स्थान खानीपुर रोड सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी महोदय श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी महोदय लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में उ0नि0 अजीत यादव मय हमराह का0 राहुल प्रताप सिंह, का0 अनिल कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 68/26 धारा 69 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त 1.भूपेन्द्र सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को थाना उदयपुर क्षेत्रातंर्गत अभियुक्त के निवास स्थान खानीपुर रोड़ सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. भूपेन्द्र सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी खानीपुर थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

पुलिस टीम -
उ0नि0 अजीत यादव मय हमराह,का0 राहुल प्रताप सिंह, का0 अनिल कुमार थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.04.2026
थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़

आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाला मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार; पत्नी व पुत्र द्वारा विषाक्त पदार्थ सेवन के मामले में पट्टी पुलिस की बड़ी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा आत्महत्या हेतु दुष्प्रेरित करने वाला मुख्य अभियुक्त सुनील कुमार वर्मा गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम गडोरी खुर्द, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ की बहन उम्र लगभग 31 वर्ष को उसके पति सुनील कुमार व ससुराल पक्ष के अन्य परिजनों द्वारा अवैध संबंधों के विरोध पर निरंतर प्रताड़ित व मारपीट की जाती थी, जिससे क्षुब्ध होकर दिनांक 16.04.2026 के बाद आज प्रातः उसने अपने पुत्र उम्र 09 वर्ष सहित विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। उपचार के दौरान वादी की बहन की मृत्यु हो गई थी । इस संबंध में मु0अ0सं0 146/2026 धारा 115 (2)/352/108 बीएनएस बनाम 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह का0 पंकज कुमार व म0का0 अंजू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0सं0 146/2026 धारा 115 (2)/352/108 बीएनएस थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सुनील कुमार वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा निवासी ग्राम सपहाछात थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 29 वर्ष को लौहिंदा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में अभियुक्त दिनांक 18.04.2026 को मेरी पत्नी व पुत्र ने जहर खा लिया था जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु की हो गयी थी जिसके संबंध मेरे साले नि0 गडौरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में थाना पट्टी पर मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाया है जिसके संबंध पुलिस मुझे पकड़ने के लिए मेरे घर आयी थी जानकारी होने पर मै बचने के लिए बाहर भागने कि फिराक में था कि आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. सुनील कुमार वर्मा पुत्र छोटेलाल वर्मा निवासी ग्राम सपहाछात थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 29 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अतुल कुमार यादव मय हमराह का0 पंकज कुमार व म0का0 अंजू यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 24.04.2026
थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: सोते समय वृद्ध पर जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना का सफल अनावरण, 01 अदद मोबाइल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त सुरेश पटेल को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कल्यानगढ़ की तरफ ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया, 01 अदद मोबाइल बरामद-

प्रतापगढ़।
दिनांक 04/05. 04.2026 की रात्रि को वादिनी ग्राम कल्यानगढ़ बरना, थाना हथिगवां के पति को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में सोते समय धारदार चाकू से गला काटने का प्रयास किया गया तथा पत्थर से सिर पर प्रहार किया गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर नाती द्वारा हस्तक्षेप करने पर आरोपी मौके से चाकू फेंककर फरार हो गया। इस संबंध में थाना हथिगवां में मु0अ0सं0 60/26 धारा 109 (1) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी हथिगवां श्री सत्येन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह उ0नि0 रमेश कुमार तिवारी, हे0का0 सत्येन्द्र सिंह मय चालक हे0का0 संग्राम सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0सं0 60/26 धारा 109 (1) बीएनएस थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सुरेश पटेल पुत्र रोशनलाल पटेल निवासी ग्राम कल्यानगढ बरना थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 52 वर्ष को 01 अदद मोबाइल के साथ थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कल्यानगढ़ की तरफ ट्यूबवेल के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि मेरे गाँव के लड़के को सऊदी जाने के लिये मैने उसका वीजा पासपोर्ट आदि बनवाया था और पैसे भी दिये थे और गाँव के ठाकुर से जमीन भी उसको खरीदवाया था इन्ही कामों से प्रभावित होकर उस लडके की पत्नी के पास मैं आता जाता था जिसे मैने एक मोबाईल ओप्पो का खरीदकर दिया था। जिसमें सिम भी मैने लगाकर दिया था जिससे उसकी पत्नी मुझसे व्हाट्सएप काल पर बात करती थी जब घटना हुयी थी तो पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से मैने उस मोबाइल को वापस ले लिया था। मैं उस मोबाइल को गाँव में खेत के मेड़ के पास गाड़ा है तथा जिससे मैं उसकी पत्नी को केवल मुझसे बात करने के लिये दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुरेश पटेल पुत्र रोशनलाल पटेल निवासी ग्राम कल्यानगढ बरना थाना हथिगवा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 52 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह उ0नि0 रमेश कुमार तिवारी, हे0का0 सत्येन्द्र सिंह मय चालक हे0का0 संग्राम सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.04.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: महिला का पर्स चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी की नकदी व दस्तावेज बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा महिला का पर्स चोरी करने वाले 03 अभियुक्तों, कुलदीप पटेल, राहुल शुक्ला, मोहित शुक्ला को थाना क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर सगरा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया, चोरी के 3000/- रुपये नगद, बैग, आधार कार्ड बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 23.04.2026 को वादिनी निवासी ग्राम नन्दा का पुरवा, थाना कुंडा, जनपद प्रतापगढ़ अपने कॉस्मेटिक दुकान खेमीपुर से शारदा सहायक नहर के किनारे होते हुए घर जा रही थी, इसी दौरान अज्ञात तीन व्यक्तियों द्वारा उसका हैंडबैग चोरी कर लिया गया, जिसमें लगभग 3000/- रुपये नकद, आधार कार्ड एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज थे। वादिनी द्वारा उक्त व्यक्तियों की पहचान मोहित शुक्ला, राहुल शुक्ला (पुत्रगण रमेश शुक्ला, निवासी खेमीपुर थाना कुंडा) तथा कुलदीप पटेल

निवासी तिवारीपुर के रूप में बताई गई है। इस संबंध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0- 124/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम 03 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति व उ0नि0 चरन सिंह व हे0का0 रमेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मु0अ0सं0- 124/2026 धारा 303(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्तों, 1. कुलदीप पटेल पुत्र रज्जन पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पूरेनंद तिवारी पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ 2. राहुल शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ 3. मोहित शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को चोरी के 3000 रुपये के साथ थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ताजपुर सगरा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 3000/- रुपये नगद बरामद किए गए। उक्त बरामदगी के आधार पर विवेचना में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनों शराब पीते हैं। कल दिनांक 23.04.2026 शाम को खेमीपुर नहर के पास से एक महिला का हैंड बैग जो आप लोगों को मोटरसाईकिल की डिग्गी से मिला है उसको हम तीनों द्वारा चुराया था जिसमे 3000 रुपये हैं और उसका आधार कार्ड भी इसी बैग में है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. कुलदीप पटेल पुत्र रज्जन पटेल उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम पूरेनंद तिवारी पुरवा थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ।

2. राहुल शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

3. मोहित शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-

चोरी के 3000/- रुपये नगद, बैग, आधार कार्ड बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अंकित सिंह मय हमराह उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति व उ0नि0 चरन सिंह व हे0का0 रमेश कुमार थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 24.04.2026
थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस की त्वरित कार्यवाही: मारपीट व धमकी देने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना जेठवारा पुलिस द्वारा मारपीट और अभद्रता करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण:
दिनांक 23.04.2026 को वादी निवासी भटपुरवा, मानधाता) द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके पुत्र, जो अपनी बहन के साथ स्कूल से घर लौट रहे थे, के साथ मोटरसाइकिल सवार युवकों ने गाली-गलौज और मारपीट की। इस हमले में छात्र की गर्दन पर चोटें आई थीं। राहगीरों के जुटने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना जेठवारा पर मु0अ0सं0 91/2026, धारा 115(2), 352, 351(3) बीएनएस (BNS) के तहत मामला पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़, श्री दीपक भूकर के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा के नेतृत्व में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान साक्ष्यों के संकलन और मुखबिर की सूचना पर, उप निरीक्षक श्री राजीव वर्मा की टीम द्वारा मुकदमे से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण निम्नवत है:
01. मो0 कैफ पुत्र अब्दुल समद (उम्र 21 वर्ष), निवासी- ग्राम ढेमा, थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।
02. गुफरान खान पुत्र कबीर (उम्र 20 वर्ष), निवासी- ग्राम ढेमा, थाना मान्धाता, प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

उ0नि0 श्री राजीव वर्मा मय हमराह, थाना जेठवारा।

प्रेस नोट दिनांक- 24.04.2026
थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा "शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त अंकित गौतम को गिरफ्तार किया गया-

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोकईयापुर के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री मनोज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 अतुल कुमार ,का0 विनोद कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना अन्तर्गत धारा 69/352/351(2) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त अंकित गौतम पुत्र अशोक गौतम निवासी ग्राम भैसाना थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लोकईयापुर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. अंकित गौतम पुत्र अशोक गौतम निवासी ग्राम भैसाना थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मृत्युंजय पांडेय मय हमराह का0 अतुल कुमार, का0 विनोद कुमार थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नो◌ेट दिनांक- 24.04.2026
थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 23.04.2026 को वादी निवासी ग्राम देवगढ़ कमासिन थाना रानीगंज के ऊपर आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर हमला कर दिया जिसके वादी के को चोटे आई है व घायल कर दिया गया जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना रानीगंज में मु0अ0स0 160/26 धारा 109 (1)/352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी रानीगंज श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना रानीगंज के उ0 नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 राजू गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 160/26 धारा 109 (1)/352 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त सचिन पटेल पुत्र स्व0 रामनाथ उर्फ मकरी पटेल निवासी ग्राम देवगढ़ कमासिन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सचिन पटेल पुत्र स्व0 रामनाथ उर्फ मकरी पटेल निवासी ग्राम देवगढ़ कमासिन थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0 नि0 राजेश कुमार यादव मय हमराह का0 राजू गौड़ थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक 24.04.2026
थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा कुल 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना रानीगंज के उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह कां0 धर्मेन्द्र यादव द्वारा जांच प्रार्थना पत्र, देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, के दौरान सेशन केस नं0 996/04 अ0सं0 95/98 धारा 323/325/504/506 IPC थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, से संबंधित कुल 01 वारण्टी अभियुक्त अब्बास पुत्र दरगाही वर्मा उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम जयरामपुर (दुर्गागंज) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अब्बास पुत्र दरगाही वर्मा उम्र करीब 60 वर्ष निवासी ग्राम जयरामपुर (दुर्गागंज) थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़, ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सन्तोष कुमार यादव मय हमराह कां0 धर्मेन्द्र यादव थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।